न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
[illegible]/2016/प्रा.पत्र/2016	09.02.2016	21.12.2018

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री राधेश्याम खण्डेलवाल पुत्र लादूलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स राधेश्याम कैलाशचन्द खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
2. मैसर्स राधेश्याम कैलाशचन्द खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
3. श्रीमति शिमला देवी गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच–155 आई.आई. डी. सेन्टर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक निवासी 40 जैन कॉलोनी जिला टोंक
4. मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच–155 आई.आई. डी. सेन्टर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक
...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 21.12.2018

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2015 को समय 3.30 पी.एम. पर मैसर्स राधेश्याम कैलाशचन्द खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से राधेश्याम खण्डेलवाल पुत्र लादूलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राधेश्याम कैलाशचन्द खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे गुड,तेल,घी,मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक मे प्रत्येक 500 ग्राम पैक के लगभग 22 पैकेट पैक्ट अवस्था मे हल्दी पावडर (गोविन्द ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. खाद्य कारोबारकर्ता श्री राधेश्याम खण्डेलवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राधेश्याम खण्डेलवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे गुड,तेल,घी,मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक मे प्रत्येक 500 ग्राम पैक के लगभग 22 पैकेट पैक्ट अवस्था मे हल्दी पावडर (गोविन्द ब्राण्ड) में से 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पैक हल्दी पावडर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत खाद्य कारोबारकर्ता श्री राधेश्याम खण्डेलवाल को रू0 320.00/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा हल्दी पावडर 4 पैकेट 500–500 ग्राम को बराबर–बराबर चार भागो में विभाजित कर प्रत्येक भाग को अच्छी तरह गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कराया गया।

चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की स्वाक्षरयुक्त पेपर स्लिप नं. आई–1177 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राधेश्याम खण्डेलवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4914 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/833/एक्ट/2015/909 दिनांक 08.12.2015 के अनुसार राधेश्याम खण्डेलवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **हल्दी पावडर (गोंविन्द ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3 (1) (Zf) (A) (i) (a)** व **3 (1) (Zf) (B) (i) (a)** अनुसार **मिथ्याछाप (Misbrand)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Misbrand)** स्तर का **हल्दी पावडर (गोविन्द ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीया सं0 3–4 द्वारा गोविन्द मसाले के लेबल का सेम्पल प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस हल्दी पावडर (गोविन्द ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbrand)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर (गोविन्द ब्राण्ड)** का नमूना जांच **मिथ्याछाप (Misbrand)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व दण्डनीय धारा 52 (सपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीया श्रीमति शिमला देवी गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज एफ–155 आई.आई. डी. सेन्टर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक निवासी 40 जैन कॉलोनी जिला टोंक पर शास्ती 6000/– (अक्षरे छः हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये सीधे न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.12.2018 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12..2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक